हरियाणा सरकार

विधि तथा विधायी विभाग

अधिसूचना

दिनांक 26 जून, 2019

संख्या लैज. 17/2019.– दि हरियाणा ऐनिमल (रजिस्ट्रेशन, सर्टिफिकेशन ऐण्ड ब्रीडिंग) एक्ट, 2019, का निम्नलिखित हिन्दी अनुवाद हरियाणा के राज्यपाल की दिनांक 11 जून, 2019 की स्वीकृति के अधीन एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है और यह हरियाणा राजभाषा अधिनियम, 1969 (1969 का 17), की धारा 4–क के खण्ड (क) के अधीन उक्त अधिनियम का हिन्दी भाषा में प्रामाणिक पाठ समझा जाएगा :–

2019 का हरियाणा अधिनियम संख्या 17

हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) अधिनियम, 2019

राज्य में पशुओं के पंजीकरण और प्रमाणीकरण द्वारा कृत्रिम गर्भाधान, इन–विट्रो निषेचन, भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी इत्यादि के माध्यम से पशु वीर्य और भ्रूण के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, विक्रय और वितरण के लिए पशुओं के प्रजनन के उपयोग सहित पशु प्रजनन क्रियाओं और अनियमित प्रजनन क्रिया के माध्यम से पशुओं के स्वामियों के उत्पीड़न को रोकने को विनियमित करते हुए पशुओं के कल्याण तथा आनुवंशिक सुधार के लिए और इससे संबंधित या इससे आनुषंगिक मामलों के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :–

संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ तथा लागूकरण।

1. (1) यह अधिनियम हरियाणा पशु (पंजीकरण, प्रमाणीकरण और प्रजनन) अधिनियम, 2019, कहा जा सकता है।

(2) यह राजपत्र में इसके प्रकाशन की तिथि से लागू होगा।

(3) यह प्रथमतः सांड तथा ऐसे पशुओं, जो सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट करें, को लागू होगा।

परिभाषाएं।

2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो,–

(1) ''पशु'' से अभिप्राय है, सभी पालतू पशु और इसमें वे पशु शामिल नहीं हैं, जो वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का केन्द्रीय अधिनियम 53) की अनुसूचियों में शामिल हैं ;

(2) ''पशु प्रजनक'' से अभिप्राय है, पशु प्रजनन क्रियाओं में नियोजित या सहयुक्त कोई व्यक्ति, संगठन, फर्म या अभिकरण ;

(3) ''पशु पंजीकरण'' से अभिप्राय है, पंजीकरण प्राधिकारी द्वारा राज्य पशु समूह पुस्तिका में प्रत्येक पशु के विवरणों के इन्द्राज के माध्यम से पंजीकरण ;

(4) ''कृत्रिम गर्भाधान'' से अभिप्राय है, कृत्रिम साधनों द्वारा वयस्क मादा प्रजनन ट्रैक्ट में तरल या हिमकृत–थाड वीर्य को जमा करने के लिए प्रयुक्त तकनीक तथा प्रक्रिया ;

(5) ''पशु पंजीकरण प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 3 के अधीन गठित प्राधिकरण;

(6) ''पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 4 के अधीन गठित प्राधिकरण ;

(7) ''पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण'' से अभिप्राय है, धारा 5 के अधीन गठित प्राधिकरण ;

(8) ''सांड'' से अभिप्राय है, मवेशी और भैंस समूह का कोई पशु जैसे गाय, गाय–सांड, गाय–बछिया/बछड़ा, भैंस, भैंस–झोटा और भैंस–कटड़ी/कटड़ा ;

(9) ''प्रमाणीकरण'' से अभिप्राय है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण की मोहर के अधीन सरकारी दस्तावेज उपलब्ध करवाने की कार्यवाही या प्रक्रिया ;

(10) ''प्रमाणित पशु'' से अभिप्राय है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित कोई पशु ;

(11) ''भ्रूण'' से अभिप्राय है, बीजगुहा चरण तक विकास का प्रारंभिक चरण, पशु शुक्राणु या तो ताजा या क्रायो–संरक्षित अवस्था द्वारा मादा पशु अण्डाणु के निषेचन के परिणामस्वरूप इन–विट्रो या इन–विवो में विकसित ;

(12) ''भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी'' से अभिप्राय है, मादा प्रापक प्रजनन ट्रैक्ट में इन–विट्रो उत्पादित भ्रूण के हस्तांतरण के लिए प्रयुक्त तकनीक तथा प्रक्रिया ;

(13) ''सरकार'' से अभिप्राय है, प्रशासनिक विभाग में हरियाणा राज्य की सरकार ;

(14) ''इन–विट्रो निषेचन'' से अभिप्राय है, हस्तांतरण के लिए इन–विट्रो अवस्था में भ्रूणों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त उन्नत प्रजनन प्रौद्योगिकी ;

(15) ''इन–विट्रो निषेचन विशेषज्ञ या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ'' से अभिप्राय है, कोई व्यक्ति, जो पशु–चिकित्सा मादा रोग, पशु–चिकित्सा फिजियोलॉजी, पशु आनुवंशिकी या प्रजनन और पशु जैव–प्रौद्योगिकी के विशिष्ट क्षेत्र में स्नातकोत्तर उपाधि रखता हो ;

(16) ''परिसर'' से अभिप्राय है, कोई स्थान, भूमि, यार्ड, भवन, वाहन या कोई अन्य स्थल जो संगरोध स्टेशन, वीर्य या भ्रूण उत्पादन, प्रसंस्करण, भंडारण, परिवहन, वितरण, व्यापार या उपयोग के लिए प्रयुक्त किया जाता है ;

(17) ''विहित'' से अभिप्राय है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित ;

(18) ''संगरोध स्टेशन'' से अभिप्राय है, आयात या निर्यात करने के लिए आशयित पशुओं या पशु उत्पादों के अलगाव और परीक्षण के लिए अनुमोदित और अनुज्ञप्ति प्राप्त कोई परिसर;

(19) ''वीर्य'' से अभिप्राय है, किसी भी रूप में किसी पशु का वीर्य या लिंग वीर्य और इसमें अवमानक वीर्य शामिल नहीं है ;

(20) ''वीर्य बैंक'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा परिसर, जहां पशु के वीर्य को व्यापार या वितरण के लिए भण्डार किया जाता है ;

(21) ''वीर्य स्टेशन'' से अभिप्राय है, कोई ऐसा परिसर, जहां पशु के वीर्य के उत्पादन, प्रसंस्करण और भंडारण के लिए सुविधा स्थापित की गई है ;

(22) ''सेवाओं'' से अभिप्राय है, पशु प्रजनन सेवाएं तथा इसमें ऐसी अन्य सेवाएं भी शामिल हैं, जो विनिर्दिष्ट की जाएं ;

(23) ''लिंग वीर्य'' से अभिप्राय है, ऐसा वीर्य जिसमें वांछित लिंग की अधिक संतान पैदा करने वाला शुक्राणु हो;

(24) ''लिंग भ्रूण'' से अभिप्राय है, अधिक संतान पैदा करने के लिए किसी वांछित लिंग का भ्रूण ;

(25) ''राज्य'' से अभिप्राय है, हरियाणा राज्य ;

(26) ''राज्य पशु समूह पुस्तिका'' से अभिप्राय है, राज्य के पशुओं के विस्तृत आंकड़ों को बनाए रखने के लिए रिकार्ड पुस्तिका ;

(27) ''अवमानक भ्रूण'' से अभिप्राय है, ऐसा भ्रूण, जो विनिर्दिष्ट मानकों को पूरा नहीं करता हो ;

(28) ''अवमानक वीर्य'' से अभिप्राय है, ताजा वीर्य या जमा हुआ वीर्य, जो विहित मानकों को पूरा नहीं करता हो ;

(29) ''पशु–चिकित्सक'' से अभिप्राय है, भारतीय पशु–चिकित्सा परिषद् अधिनियम, 1984 (1984 का केन्द्रीय अधिनियम 52) में यथा परिभाषित कोई पंजीकृत पशु–चिकित्सा व्यवसायी।

3. (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन पशुओं के पंजीकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु पंजीकरण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :– पशु पंजीकरण प्राधिकरण का गठन।

(क)	महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा	अध्यक्ष
(ख)	प्रबन्ध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	सदस्य
(ग)	पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा में पदस्थ एक पशु–चिकित्सक	सदस्य
(घ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा या हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड या लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय में पशु–चिकित्सक, जो उपनिदेशक की पदवी से नीचे का न हो या कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित प्रख्यात पशु–चिकित्सक।	सदस्य–सचिव

(2) पशु पंजीकरण प्राधिकरण का मुख्यालय, पंचकूला, हरियाणा में होगा।

(3) पशुओं का पंजीकरण स्वैच्छिक होगा और केवल पंजीकृत पशुओं को प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तुत किया जाएगा।

4. (1) सरकार, इस अधिनियम के अधीन पशुओं के प्रमाणीकरण के प्रयोजन के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् :– पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का गठन।

(क)	मुखिया, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	अध्यक्ष
(ख)	पशुधन उत्पादन प्रबन्धन, लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित एक विशेषज्ञ	सदस्य
(ग)	पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से एक प्रतिनिधि, जो उपमण्डल अधिकारी की पदवी से नीचे का न हो या कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित प्रख्यात पशु–चिकित्सक हो	सदस्य
(घ)	पशु आनुवंशिकी विभाग, लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय या पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से कम से कम पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित एक विशेषज्ञ।	सदस्य–सचिव

(2) पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का मुख्यालय, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, हिसार द्वारा, समय–समय पर, विनिर्दिष्ट अवस्थान पर होगा।

5. (1) सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के रूप में ज्ञात प्राधिकरण का गठन करेगी, जो निम्नलिखित सदस्यों से मिलकर बनेगा, अर्थात् : पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण का गठन।

(क)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला कोई प्रख्यात प्रजनक या पशु–चिकित्सक	अध्यक्ष
(ख)	महानिदेशक, पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा	सदस्य
(ग)	प्रबंध निदेशक, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड	सदस्य
(घ)	लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय का अनुसंधान निदेशक या उसका प्रतिनिधि, जो आचार्य या प्रधान वैज्ञानिक की पदवी से नीचे का न हो	सदस्य

(ङ)	मुखिया, पशु आनुवंशिकी और प्रजनन विभाग, लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय	सदस्य
(च)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला वीर्य या भ्रूण उत्पादन में अनुभव रखने वाला एक प्रख्यात पशु–चिकित्सक	सदस्य
(छ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात पशु प्रजनक	सदस्य
(ज)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला एक प्रख्यात प्रजनन विशेषज्ञ	सदस्य
(झ)	सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला पशुपालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा से उपनिदेशक की पदवी का पशु–चिकित्सक या पन्द्रह वर्ष के अनुभव सहित प्रख्यात पशु–चिकित्सा विशेषज्ञ।	सदस्य–सचिव

(2) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण का मुख्यालय, पंचकूला, हरियाणा में होगा।

(3) कोई भी पशु प्रजनक तब तक कोई पशु प्रजनन क्रिया नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा जब तक पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पशु प्रजनन, पशु वीर्य तथा भ्रूणों के उत्पादन, प्रसंस्करण, भण्डारण, बिक्री तथा वितरण के लिए उसके द्वारा उपयोग किए जाने वाले या उपयोग किए जाने के लिए आशयित परिसरों के संबंध में पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त नहीं कर लिया हो।

सदस्य सचिव।

6. प्राधिकरणों के कार्य संबंधित सदस्य–सचिव द्वारा प्रबंधित तथा प्रशासित किए जाएंगे।

पशुओं का पंजीकरण।

7. अपने पशु का पंजीकरण करवाने का इच्छुक कोई व्यक्ति, ऐसी रीति में, ऐसे ब्यौरे देते हुए तथा ऐसी फीस, जो विहित की जाए, पशु पंजीकरण प्राधिकरण या उस द्वारा प्राधिकृत किसी व्यक्ति को आवेदन करेगा और उसके आवेदन पर विचार करने के बाद और स्वयं की संतुष्टि करते हुए कि पशु दावाकृत ब्यौरों को पूरा करता है और बीमारी रहित है और टीका लगवाया गया है, तो प्राधिकरण राज्य पशु समूह पुस्तिका में ऐसे विस्तृत डाटा का इन्द्राज करेगा और पशु को पंजीकृत करेगा।

पशुओं का प्रमाणीकरण।

8. पशु के प्रमाणीकरण के लिए इच्छुक कोई व्यक्ति, ऐसे फीस, जो विहित की जाए, सहित ऐसी रीति में प्रमाण–पत्र देने के लिए पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण को आवेदन करेगा और उसके आवेदन पर विचार करने के बाद और ऐसी रीति, जो विहित की जाए, में स्वयं की संतुष्टि करते हुए कि पंजीकृत किया जाने वाला पशु विशिष्ट विशेषताओं या मानदण्ड, जो विहित किए जाएं, वाला है, सम्बद्ध व्यक्ति को अपनी मोहर के अधीन प्रमाण–पत्र में नस्ल तथा इसकी प्रतिशतता वर्णित करते हुए प्रमाण–पत्र जारी करेगा।

पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के कृत्य।

9. इस अधिनियम के प्रयोजन हेतु, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण निम्नलिखित कृत्य करेगा :–

(क) सरकार द्वारा बनाई गई प्रजनन पालिसी कार्यान्वित करना ;

(ख) राज्य के भीतर या बाहर उत्पादित या किसी अन्य देश से आयातित वीर्य या भ्रूणों के उत्पादन, भंडारण, बिक्री और उपयोग को विनियमित करना ;

(ग) राज्य में वीर्य स्टेशनों और भ्रूण स्टेशनों को पंजीकृत करना ;

(घ) राज्य में वीर्य बैंकों और भ्रूण बैंकों को पंजीकृत करना।

(ङ) राज्य में पशु प्रजनन क्रियाएं उपलब्ध करवाने के लिए प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों या इन–विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी तकनीशियनों को प्रमाणित करना ;

(च) ऐसे अन्य कृत्यों का निर्वहन करना, जो विहित किए जाएं ;

(छ) पशु पंजीकरण प्राधिकरण और पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण का पर्यवेक्षण करना।

बैठकें।

10. (1) प्रत्येक प्राधिकरण, ऐसे समय तथा स्थान पर बैठक करेगा, जो सम्बद्ध सदस्य सचिव, अध्यक्ष के परामर्श से अवधारित करे और ऐसी बैठकों में इसके कारबार के संव्यवहार के संबंध में ऐसी प्रक्रिया का अनुपालन करेगा, जो विहित की जाए।

(2) बैठक में कारबार के संव्यवहार के लिए गणपूर्ति अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की कम से कम दो तिहाई होगी।

11. प्राधिकरण अपने कर्तव्यों का निर्वहन पशुपालन और डेयरिंग विभाग, हरियाणा या हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड या लाला लाजपत राय पशु–चिकित्सा तथा पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अमले के माध्यम से या इस प्रकार प्राधिकृत किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से करेगा। पशु चिकित्सीय योग्यताओं और अनुभव, जो विहित किया जाए, सहित वे इतनी संख्या में अधिकारियों को आउटसोर्स या प्रतिनियुक्ति पर भी ले सकते हैं, जो वे अपने कृत्यों के दक्ष निर्वहन के लिए आवश्यक समझें। अमला।

12. इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरणों को प्रदत्त कृत्यों के निर्वहन हेतु, प्राधिकरण या इस निमित्त इस द्वारा सशक्त किसी अधिकारी को किसी वीर्य स्टेशन, वीर्य बैंक या इन–विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला या पशु प्रजनन क्रियाओं से सहयुक्त संबंधित व्यक्ति से कोई अपेक्षित सूचना प्राप्त करने की शक्ति होगी। प्राधिकरणों की शक्तियां।

13. (1) कोई भी परिसर पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना कृत्रिम गर्भाधान या उत्पादन के लिए वीर्य की मात्रा के उत्पादन या भंडारण के लिये वीर्य स्टेशन के रूप में स्थापना और संचालन के लिए प्रयुक्त नहीं किए जाएंगे या प्रयुक्त किए जाने के लिए आशयित नहीं होंगे। वीर्य स्टेशन और पशु प्रजनक का पंजीकरण।

(2) कोई व्यक्ति, जो वीर्य स्टेशन स्थापित और संचालित करने का इच्छुक है, ऐसी फीस सहित, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा।

(3) वर्तमान वीर्य स्टेशन, इस अधिनियम के प्रारंभ की तिथि से तीन मास के भीतर ऐसी फीस सहित, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेंगे। वे ऐसे अन्य ब्यौरों, जो विहित किए जाएं, सहित वीर्य का वर्तमान स्टॉक भी घोषित करेंगे।

(4) नए वीर्य स्टेशन स्थापित करने के लिए आशयित या वर्तमान वीर्य स्टेशनों के आवेदकों, जिन्होंने फीस सहित आवेदन प्रस्तुत किए हैं, को इस धारा की उप–धारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिये पंजीकरण अनन्तिम प्रमाण–पत्र जारी किया जायेगा। पंजीकरण अनन्तिम प्रमाण–पत्र छह मास की अवधि के लिए वैध होगा। यह आवेदक के लिखित निवेदन पर, ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर छह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है।

(5) नए वीर्य स्टेशन या वर्तमान वीर्य स्टेशन का स्थायी पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु, आवेदक उपरोक्त छह मास या छह मास की बढ़ाई गई अवधि, जो भी लागू हो, के भीतर उसकी सुविधा हेतु निरीक्षण के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेगा। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण उस पर ऐसे निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति गठित करेगा और विशेषज्ञों की समिति से रिपोर्ट लेगा।

(6) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण स्वयं की संतुष्टि करने के बाद कि,–

(क) वीर्य स्टेशन में,–

(i) पशुओं के संगरोध के लिए ऐसे परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ii) नर पशुओं के पालन–पोषण और आवास तथा वीर्य खुराक की मात्रा के एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भंडारण, वितरण और संगरोध के लिये ऐसे परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(iii) वीर्य खुराकों की मात्रा के भंडारण के लिए परिसर हैं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं ;

(ख) वीर्य खुराक की मात्रा के उत्पादन के लिये वीर्य स्टेशन में उपयोग किए गए प्रत्येक नर पशु की,–

(i) (क) संगरोध स्टेशन में उसके प्रवेश से पूर्व ;

(ख) संगरोध स्टेशन में संगरोध अवधि के दौरान ;

(ग) पालन पोषण स्टेशन पर और वीर्य स्टेशन पर पालन पोषण के दौरान,

ऐसी जांच, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए नकारात्मक जांच की है;

(ii) नस्ल का नस्लीय विशेषताओं के अनुरूप होना और मात्रा तथा गुणवत्ता, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के अनुसार विभिन्न लक्षणों के लिए न्यूनतम मानकों को पूरा करना;

(ग) वीर्य स्टेशन पर पशु, जिसके द्वारा उत्पादित वीर्य की मात्रा, ऐसे फॉरमेट, जो विहित किया जाए, में भण्डारण, विक्रय, वितरण या वितरण के लिए कृत्रिम गर्भाधान के लिए प्रस्तावित है, के सही ब्यौरे बनाए रखता है,–

वीर्य स्टेशन का नाम, पता, पंजीकरण संख्या, वीर्य उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमाणित नर पशुओं की विशिष्ट पहचान संख्या, वीर्य स्टेशन के प्रभारी का नाम और ऐसे अन्य ब्यौरे, जो यह उचित समझे, को स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करते हुए नए वीर्य स्टेशन या वर्तमान वीर्य स्टेशन को पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करेगा।

(7) वीर्य स्टेशन को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र इसके जारी करने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा।

(8) पंजीकरण के प्रमाण–पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन पंजीकरण प्रमाण–पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में किया जाएगा। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण स्वयं की संतुष्टि करने के बाद कि तीन वर्ष की और अवधि के लिए पंजीकरण के नवीकरण के लिए उप–धारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना की गई है।

(9) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद और अभिलिखित कारणों से, पशु प्रजनक या प्रजनन सुविधा या वीर्य स्टेशन या वीर्य बैंक के पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इन्कार कर सकता है।

(10) किसी नए नर पशु का, जो वीर्य उत्पादन के लिये मानकों को पूरा करता है, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण से आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना वीर्य या लिंग वीर्य उत्पादन के लिए वीर्य स्टेशन में प्रवेश नहीं करवाया जायेगा।

(11) प्रमाणित पशु की मृत्यु या कलिंग के बारे में पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उसकी मृत्यु के कारण और पशु की मृत्यु के समय पर उस पशु के उपलब्ध जमे वीर्य स्टॉक को कथित करते हुए रिपोर्ट की प्रति सहित तुरन्त सूचित किया जाएगा।

(12) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, जब कभी चाहे, किन्तु वर्ष में कम से कम एक बार वीर्य स्टेशन के निरीक्षण के लिए विशेषज्ञों की समिति भेजेगा और पंजीकरण के प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए, प्रतिशतता प्रमाणीकरण के लिए अव्यवस्थित जमे हुए वीर्य नमूनों को भी एकत्रित करेगा।

वीर्य बैंकों का पंजीकरण।

14. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी परिसर इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त किये बिना वीर्य बैंक की स्थापना और संचालन करने के लिए उपयोग नहीं किए जाएंगे या उपयोग के लिए आशयित नहीं होंगे।

(2) इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्राप्त करने का इच्छुक कोई व्यक्ति ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में आवेदन करेगा। पंजीकरण प्रमाण–पत्र ऐसी रीति में और ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

(3) प्रत्येक वीर्य स्ट्रा पर नंबरिंग पैटर्न दर्शाना तथा उसे क्षेत्र पर अपलोड करना, जो किसी व्यक्ति की पहुंच में हो सकता है तथा उसके विवरण पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना वीर्य बैंक के लिए अनिवार्य होगा ताकि यह जांच तथा पुष्टि हेतु जनता को उपलब्ध हो सके कि क्या वीर्य वास्तव में उस वीर्य बैंक से है तथा विनिर्दिष्ट प्रमाणित पशु से है या नहीं ।

नर पशुओं का प्रमाणीकरण ।

15. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी नया वीर्य स्टेशन, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण द्वारा प्रमाणित से भिन्न किसी नर पशु से वीर्य उत्पादन या प्राकृतिक सेवा कार्यान्वित नहीं करेगा ।

(2) इस अधिनियम के अधीन नर पशुओं का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में आवेदन करेगा ।

(3) पंजीकरण प्रमाण–पत्र ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन जारी किया जाएगा ।

(4) पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण प्रत्येक प्रमाणित पशुओं के लिए विशिष्ट पहचान संख्या बनाएगा तथा सभी समयों पर प्रमाणित पशु को सुरक्षित रूप में तथा स्थाई रूप में इस विशिष्ट पहचान संख्या को टैग करना वीर्य स्टेशन के लिए अनिवार्य होगा।

16. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर, कोई भी पशु प्रजनक इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों में यथा उपबंधित पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पशु को प्रमाणित करवाए बिना तथा प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना किसी रूप में प्राकृतिक सेवा या प्रजनन सेवाएं उपलब्ध करवाने हेतु पशु प्रजनन के माध्यम से कोई प्रजनन गतिविधि नहीं करेगा या जारी नहीं रखेगा । प्राकृतिक सेवा के लिए पशुओं का प्रमाणीकरण ।

(2) इस अधिनियम के अधीन प्राकृतिक सेवा के लिए पशुओं का पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्राप्त करने का इच्छुक व्यक्ति ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में आवेदन करेगा ।

(3) उपधारा (2) में निर्दिष्ट पंजीकरण प्रमाण–पत्र ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन जारी किया जाएगा।

(4) पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण प्रत्येक प्रमाणित पशुओं के लिए विशिष्ट पहचान संख्या बनाएगा तथा सभी समयों पर प्रमाणित पशु को सुरक्षित रूप में तथा स्थाई रूप में इस विशिष्ट पहचान संख्या को टैग करना वीर्य स्टेशन के लिए अनिवार्य होगा ।

17. प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकार पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन प्रमाणित किए जाएंगे । प्रशिक्षित कृत्रिम गर्भाधान कर्मकारों का प्रमाणीकरण ।

18. (1) कोई भी व्यक्ति, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति से भिन्न तथा प्रत्येक वीर्य स्ट्रा पर नंबरिंग पैटर्न दर्शाए बिना किसी व्यक्ति को वीर्य या लिंग वीर्य का विक्रय, वितरण, उपहार या हस्तांतरण नहीं करेगा । वीर्य के विक्रय का विनियमन ।

(2) राज्य के बाहर उत्पादित कोई भी वीर्य या लिंग वीर्य, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय कृत्रिम गर्भाधान या हस्तांतरण के लिए बेचे जाने, वितरित किए जाने या उपहार में देने के लिए राज्य में अनुमत नहीं किया जाएगा तथा ऐसा अनुमोदन ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन होगा :

परन्तु उप–धारा (2) के उपबंध, भारत सरकार के सम्बद्ध विभाग से सम्यक् अनुज्ञा से उत्पादित वीर्य या लिंग वीर्य पर लागू नहीं होंगे ।

(3) कोई भी वीर्य या लिंग वीर्य, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय किसी अन्य देश से राज्य में उपयोग के लिए आयात नहीं किया जाएगा तथा ऐसा अनुमोदन ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन होगा :

परन्तु उप–धारा (3) के उपबंध, भारत सरकार के संबद्ध विभाग से सम्यक् अनुज्ञा से आयातित वीर्य या लिंग वीर्य पर लागू नहीं होंगे ।

19. (1) इस अधिनियम के प्रारम्भ से तीन मास के भीतर, कोई भी परिसर, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भ्रूण के उत्पादन तथा हस्तांतरण के लिए भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित तथा संचालित करने हेतु उपयोग नहीं करेगा या उपयोग किये जाने के लिए आशयित नहीं होगा । भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का पंजीकरण ।

(2) कोई व्यक्ति, जो नया भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित या संचालित करने का इच्छुक है, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण या नवीकरण के लिए आवेदन करेगा ।

(3) वर्तमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला, इस अधिनियम के प्रारम्भ की तिथि से तीन मास के भीतर ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आवेदन करेगा ।

(4) नया भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला स्थापित करने हेतु आशयित आवेदक या वर्तमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला, उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करने के लिए पंजीकरण के अनंतिम प्रमाण–पत्र के लिए ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में आवेदन करेगा। पंजीकरण का अनंतिम प्रमाण–पत्र चौबीस मास की अवधि के लिए वैद्य होगा। ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर यह लिखित में आवेदक के अनुरोध पर बारह मास की और अवधि के लिए बढ़ाया जा सकता है ।

(5) नये भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला या वर्तमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण का स्थायी प्रमाण–पत्र प्रदान करने हेतु, आवेदक ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में उपरोक्त चौबीस मास के भीतर निरीक्षण के लिए प्राधिकरण को आवेदन कर सकता है । पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण उस पर ऐसे निरीक्षण के लिए सलाहकार पैनल से विशेषज्ञों की समिति भेजेगा ।

(6) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, अपनी संतुष्टि करने के बाद कि,–

(क) भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला,–

(i) डोनर पशुओं, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के संगरोध के लिए ऐसे परिसर रखती है;

(ii) डोनर पशुओं के पालन–पोषण तथा आवास तथा एकत्रीकरण, प्रसंस्करण, गुणवत्ता नियंत्रण, भण्डारण, वितरण तथा भ्रूण के संगरोधन, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के लिए ऐसे परिसर रखती है ;

(iii) भ्रूणों, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, के भण्डारण के लिए ऐसे परिसर रखती है;

(ख) भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक डोनर पशु की,–

(i) (क) संगरोध स्टेशन में इसके प्रवेश से पूर्व;

(ख) संगरोध स्टेशन में संगरोध अवधि के दौरान;

(ग) पालन–पोषण स्टेशन पर पालन–पोषण के दौरान,

ऐसी जांच, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के लिए नकारात्मक जांच की है; तथा

(ii) प्रजनन असामान्यताओं और रोग रहित है तथा कोई पुष्टिकारी या ज्ञात आनुवंशिकी कमियां नहीं हैं;

(iii) नस्ल का नस्लीय प्रजनन विशेषताओं के अनुरूप होना तथा मात्रा तथा गुणवत्ता, जो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या भारत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए, के अनुसार विभिन्न लक्षणों के लिए ऐसे न्यूनतम मानदण्ड पूरा करना ;

(ग) भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला, डोनर पशुओं, जिसके द्वारा उत्पादित डिंबाणुजनकोशिका या अंडाणु या भ्रूण ऐसे फोरमैट, जो विहित किया जाए, में भण्डारण, विक्रय, वितरण या भ्रूण हस्तांतरण के लिए वितरण के लिए प्रस्तावित करती है, की सही नस्ल तथा निष्पादन के अभिलेख बनाए रखेगी,–

भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का नाम तथा पता, भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला की पंजीकरण संख्या, भ्रूण उत्पादन में प्रयुक्त किए जाने वाले डोनर पशुओं की विशिष्ट पहचान संख्या, स्टेशन या प्रयोगशाला के प्रभारी का नाम तथा ऐसे निबंधन तथा शर्तों, जो वह ठीक समझे, को स्पष्ट रूप में विनिर्दिष्ट करते हुए नए या वर्तमान भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला हेतु पंजीकरण का प्रमाण–पत्र प्रदान करेगी ।

(7) इस धारा के अधीन भ्रूण या लिंग भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र इसके जारी होने की तिथि से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैद्य होगा ।

(8) भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला, पंजीकरण प्रमाण–पत्र की समाप्ति से कम से कम तीन मास पूर्व पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को ऐसी फीस सहित ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में पंजीकरण के नवीकरण के लिए आवेदन करेगी। पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण अपनी संतुष्टि करने के बाद कि पंजीकरण प्रमाण–पत्र के संबंध में उपधारा (6) में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना की गई हैं, आवेदन की प्राप्ति की तिथि से तीन मास के भीतर तीन वर्ष की और अवधि के लिए पंजीकरण नवीकृत करेगा। यदि नवीकरण प्रमाण–पत्र तीन मास के भीतर जारी नहीं किया जाता है, अनुमोदन दिया गया समझा जाएगा जब तक अन्यथा संसूचित न किया जाए ।

(9) कोई नया पशु डोनर, जो भ्रूण उत्पादन के लिए मानदण्ड पूरा करता हो, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण से आवश्यक प्रमाणीकरण के बिना भ्रूण उत्पादन के लिए भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला में प्रवेश नहीं करवाया जाएगा।

(10) प्रमाणित पशु की मृत्यु या कलिंग के बारे में पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उसकी मृत्यु के कारण और पशु की मृत्यु के समय पर उस पशु के उपलब्ध जमे हुए भ्रूण स्टॉक को कथित करते हुए रिपोर्ट की प्रति सहित तुरन्त सूचित किया जाएगा ।

(11) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, आवेदक को सुनवाई का अवसर देने के बाद तथा कारण अभिलिखित करते हुए, पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने या नवीकृत करने से इन्कार कर सकता है ।

(12) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, जब कभी चाहे किन्तु वर्ष में एक बार पंजीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु, भ्रूण या लिंग भ्रूण या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला का निरीक्षण करने हेतु विशेषज्ञों की समिति भेजेगा ।

भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन कर्मकार का प्रमाणीकरण ।

20. प्रशिक्षित भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन कर्मकार, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन पंजीकृत तथा प्रमाणित किए जाएंगे ।

भ्रूण या लिंग भ्रूण के विक्रय का विनियमन ।

21. (1) कोई भी व्यक्ति, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति से भिन्न किसी व्यक्ति को भ्रूण या लिंग भ्रूण का विक्रय, वितरण, उपहार या हस्तांतरण नहीं करेगा ।

(2) राज्य से बाहर उत्पादित कोई भी भ्रूण पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन के सिवाय राज्य में हस्तांतरण करने के लिए बेचे जाने, वितरित किये जाने, उपहार में देने के लिए अनुमत नहीं किया जाएगा। प्राधिकरण ऐसी रीति में तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन अनुमोदन प्रदान करेगा ।

(3) कोई डिंबाणुजनकोशिका, अंडाणु, भ्रूण या लिंग भ्रूण पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के पूर्व अनुमोदन तथा ऐसी शर्तों, जो विहित की जाएं, के अध्यधीन के सिवाय किसी अन्य देश से राज्य में उपयोग के लिए आयात नहीं किया जाएगा ।

(4) प्रत्येक भ्रूण स्ट्रा पर नंबरिंग पैटर्न दर्शाना तथा क्षेत्र पर उसे अपलोड करना, जो किसी भी व्यक्ति की पहुंच में हो तथा उसके विवरण पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण या पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को उपलब्ध करवाना भ्रूण बैंक के लिए अनिवार्य होगा ताकि ये जनता को जांच तथा पुष्टि के लिए उपलब्ध हों कि भ्रूण वास्तव में उस वीर्य बैंक से है तथा विनिर्दिष्ट प्रमाणित पशु से है या नहीं ।

निरीक्षण, तलाशी तथा अभिग्रहण करने की शक्ति ।

22. (1) पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त इस द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति, पंजीकरण प्रमाण–पत्र के निबंधनों तथा शर्तों या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों की अनुपालना सुनिश्चित करने के विचार से या निरीक्षण तथा जांच के प्रयोजन के लिए,–

(क) किन्हीं परिसरों, यदि किसी अपराध में उसके संलिप्त होने बारे युक्तियुक्त संदेह है या कि कोई गतिविधि इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों की उल्लंघना में की जा रही है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबंधों की उल्लंघना की है या पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक इस अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र में विनिर्दिष्ट निबंधनों तथा शर्तों के भंग में गतिविधियां कर रहा है, वहां प्रवेश कर सकता है, निरीक्षण कर सकता है तथा तलाशी करवा सकता है या कर सकता है ;

(ख) किन्हीं परिसरों या किसी वीर्य स्टेशन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला या भ्रूण बैंक से वीर्य या भ्रूण उत्पादन में प्रयुक्त वीर्य, लिंग वीर्य, भ्रूण, लिंग भ्रूण, खून या किसी अन्य सामग्री के नमूने एकत्रित कर सकता है तथा ऐसे नमूनों को प्राधिकृत प्रयोगशाला से विश्लेषित करवा सकता है।

(2) वीर्य या भ्रूण, जो अप्रमाणित पशु से हैं, के सभी स्टॉक तुरन्त नष्ट किये जाएंगे तथा प्रसंस्कृत उपकरण या प्रयोगशालाएं अभिगृहीत की जाएंगी तथा इस संबंध में सम्पति–सूची दो स्वतंत्र गवाहों की उपस्थिति में तैयार की जाएगी:

परन्तु कोई भी तलाशी केवल इस तथ्य के कारण अनियमित नहीं समझी जाएगी कि तलाशी के लिए गवाह परिक्षेत्र, जिसमें तलाशी का स्थान अवस्थित है, के निवासी नहीं हैं ।

अभिलेख का रख–रखाव तथा प्रस्तुत करना ।

23. (1) जो कोई भी, इस अधिनियम के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र रखता है ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अधीन कार्यान्वित की गई गतिविधियों से संबंधित ऐसी पुस्तकें, लेखे तथा अभिलेख रखेगा ।

(2) जो कोई भी वीर्य स्टेशन या वीर्य बैंक या भ्रूण बैंक या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी या इन–विट्रो निषेचन प्रयोगशाला के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र रखता है, ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में तथा प्रमाणीकरण के लिए प्रस्तावित नये डोनर पशुओं, जिनका वीर्य, अण्डाणु या भ्रूण ऐसे प्ररूप, जो विहित किया जाए, में प्रयुक्त किया जाना है, के संबंध में दोहरी प्रति में रिपोर्ट पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को वार्षिक या अन्तराल पर या इस द्वारा विनिर्दिष्ट समय पर प्रस्तुत करेगा ।

निर्देश देने की शक्ति ।

24. पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, इस अधिनियम के अधीन अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा इसके कर्त्तव्यों का पालन करते हुए किसी व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी, जैसी भी स्थिति हो, को लिखित में कोई निर्देश जारी कर सकता है तथा ऐसा व्यक्ति, अधिकारी या प्राधिकारी ऐसे निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य होगा। इस धारा के अधीन निर्देश जारी करने की शक्तियों में निम्नलिखित निदेश करने की शक्ति भी शामिल होगी,–

(i) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कार्यान्वित पशु प्रजनन से संबंधित किसी संचालन, प्रक्रिया या गतिविधि का समापन, प्रतिषेध या विनियमन करना; या

(ii) बिजली, जल या किसी अन्य सेवा को रोकना या विनियमन करना ।

गतिविधियों को नियंत्रित रखने के लिए न्यायालय को आवेदन करने की शक्ति ।

25. (1) जहां पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण को आशंका है कि इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के उल्लंघन में कोई व्यक्ति, फर्म, कम्पनी या गैर–सरकारी संगठन पशु प्रजनन सेवाओं या वीर्य या भ्रूण के व्यापार तथा प्रदाय से सहयुक्त है, तो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त कोई अधिकारी, धारा 22 में वर्णित प्रक्रिया अपनाने के बाद, ऐसी रिपोर्ट तैयार करेगा तथा रिपोर्ट की संवीक्षा के बाद, पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण ऐसे व्यक्ति को उक्त गतिविधि करने से रोकने के लिए क्षेत्र पर अधिकारिता रखने वाले न्यायालय के समक्ष अभियोजन चलाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन शिकायत की प्राप्ति पर, न्यायालय ऐसे व्यक्ति को उक्त गतिविधि करने से रोकने के लिए आदेश पारित कर सकता है या ऐसे निर्देश दे सकता है या ऐसे आदेश पारित कर सकता है, जो वह ठीक समझे ।

व्याख्या.– इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अभियोजन चलाने के लिए पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी को शिकायतकर्ता के रूप में समझा जाएगा ।

(3) तलाशी, अभिग्रहण, अन्वेषण तथा अभियोजन के संबंध में दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) के उपबंध, जहां तक हो सके, इस अधिनियम के अधीन पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या सशक्त किसी अधिकारी द्वारा की गई सभी कार्रवाइयों पर लागू होंगे ।

धारा 16 के उल्लंघन में शास्तियां ।

26. (1) जो कोई भी भूलचूक का कार्य करता है या कार्य करने के लिए उकसाता है, जो धारा 16 में दिए गए उपबंधों के उल्लंघन में है, प्रथम बार अपराधी के रूप में दस हजार रूपये के जुर्माने से, दूसरी बार अपराधी के रूप में बीस हजार रूपये के जुर्माने से दण्डनीय होगा तथा पश्चात्वर्ती अपराध के लिए, साधारण कारावास, जो तीन मास तक बढ़ाया जा सकता है तथा जुर्माने, जो एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है, से भी दण्डनीय होगा ।

व्याख्या.– आभ्यासिक अपराधी की दशा में, प्राकृतिक सेवा या प्राकृतिक प्रजनन के लिए स्वामी या प्रजनक द्वारा इस प्रकार प्रयुक्त किया गया पशु भी अभिगृहीत किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना, सम्बद्ध व्यक्ति से भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा ।

शास्ति ।

27. (1) कोई भी व्यक्ति, जो धारा 16 के सिवाय किसी अन्य उपबंध का उल्लंघन करता है या भंग करता है, उसे कठोर कारावास, जो एक वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है या जुर्माने, जो एक लाख रूपये तक बढ़ाया जा सकता है या दोनों से दण्डित किया जाएगा ।

(2) इस प्रकार अधिरोपित जुर्माना, सम्बद्ध व्यक्ति से भू–राजस्व के बकायों के रूप में वसूल किया जाएगा ।

28. (1) कोई भी न्यायालय, इस अधिनियम के अधीन पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण या इस निमित्त सशक्त किसी अधिकारी द्वारा की गई किसी शिकायत के सिवाय किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेगा। अपराध का संज्ञान।

(2) अप्राधिकृत वीर्य या भ्रूण या गैर ब्रांडिड या अवमानक वीर्य या भ्रूण का किसी भी रूप में उत्पादन, स्वामित्व, वितरण, बिक्री, हस्तांतरण, आयात–निर्यात या उपयोग इस अधिनियम के अधीन असंज्ञेय और जमानतीय अपराध होगा।

29. किसी प्राधिकृत प्रयोगशाला द्वारा सम्यक् रूप से जारी किसी रिपोर्ट के रूप में तात्पर्यित कोई दस्तावेज, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (1974 का केन्द्रीय अधिनियम 2) की धारा 293 में दिए गए उपबन्ध के दृष्टिगत विशेषज्ञ साक्ष्य के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। प्राधिकृत प्रयोगशाला की रिपोर्ट।

30. पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण इसकी निधियों, गतिविधियों या पालिसियों के संबंध में ऐसी रिपोर्ट, आंकड़े और अन्य सूचना देगा, जो सरकार द्वारा, समय–समय पर, अपेक्षित हो। रिपोर्ट।

31. पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के सभी विशेषज्ञ, अधिकारी तथा कर्मचारी, जब इस अधिनियम तथा इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों के अनुसरण में कार्य करते समय या कार्य करने के लिए तात्पर्यित हों, भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक समझे जाएंगे। लोक सेवक।

32. इस अधिनियम के अधीन जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र या नवीकरण प्रमाण–पत्र विरूपित, गुम या नष्ट हो जाता है, तो पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, सन्तुष्ट होने पर, आवेदक को ऐसी फीस, जो विहित की जाए, के भुगतान पर अनुलिपि प्रमाण–पत्र प्रदान कर सकता है। अनुलिपि प्रमाण–पत्र जारी करना।

33. यदि पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण की या तो इस निमित्त उसको किए गए किसी संदर्भ पर या समिति के विशेषज्ञों की जांच रिपोर्ट के आधार पर या अन्यथा से संतुष्टि हो जाती है कि,– पंजीकरण प्रमाण–पत्र का प्रतिसंहरण।

(क) वीर्य बैंक, वीर्य स्टेशन, भ्रूण या लिंग भ्रूण स्टेशन, भ्रूण या लिंग भ्रूण बैंक, इन विट्रो निषेचन या भ्रूण हस्तांतरण प्रौद्योगिकी प्रयोगशाला को प्रदान किया गया पंजीकरण प्रमाण–पत्र, दुर्व्यपदेशन या छल–कपट द्वारा प्राप्त किया गया है ; या

(ख) पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक, युक्तियुक्त कारण के बिना, उन निबन्धनों तथा शर्तों, जिनके अध्यधीन प्रमाण–पत्र प्रदान किया गया है, की अनुपालना करने में असफल रहता है या इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के किन्हीं उपबन्धों का उल्लंघन किया है, या किसी अन्य उपबन्ध, जिसके लिए प्रमाण–पत्र धारक दायी हो सकता है, के प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना शर्तों की अनुपालना नहीं की है, तो पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक को कारण बताने का अवसर देने के बाद,–

(i) कारण बताने के लिए उत्तर प्राप्त होने पर, मामले की जांच करेगा, और यदि उस कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं पाया जाता है, तो कारणों को अभिलिखित करने के बाद पंजीकरण प्रमाण–पत्र या उसके नवीकरण के प्रमाण–पत्र को प्रतिसंहरित करने का आदेश पारित कर सकता है और ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध ऐसी कार्रवाई करेगा, जो विहित की जाएं ; या

(ii) पंजीकरण या नवीकरण प्रमाण–पत्र को निलम्बित करेगा, जब तक प्रमाण–पत्र धारक, पशु प्रजनन प्राधिकरण की सन्तुष्टि के अनुसार सभी अपेक्षित शर्तों की अनुपालना नहीं करता है ; या

(iii) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों की अनुपालना के लिए पंजीकरण प्रमाण–पत्र धारक से वचन लेगा, यदि त्रुटि लघु स्वरूप की है तथा इस अधिनियम के सर्वथा प्रयोजन को निष्फल नहीं करती है।

34. (1) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबन्धों के अधीन पंजीकरण प्रमाण–पत्र प्रदान करने या नवीकरण करने से इन्कार करने वाले या पंजीकरण प्रमाण–पत्र को प्रतिसंहरित या निलम्बित करने वाले पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण के आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति, अपील प्राधिकारी, जो पशु पालन तथा डेयरिंग विभाग, हरियाणा सरकार का प्रशासकीय सचिव होगा, के सम्मुख आदेश की तिथि से तीस दिन के भीतर अपील दायर कर सकता है। अपील।

(2) अपील प्राधिकारी, आवेदक को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के बाद, यथा सम्भव शीघ्र, किन्तु अपील के दायर करने की तिथि से तीन मास के भीतर अपील का विनिश्चय करेगा।

(3) अपील प्राधिकारी, किसी अधिकारी, जो विशेष सचिव की पदवी से नीचे का न हो, को अपील की सुनवाई के लिए अपनी शक्ति प्रत्यायोजित कर सकता है।

अधिकारिता का वर्जन।

35. इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों द्वारा या के अधीन प्रदत्त किन्हीं शक्तियों के प्रयोग में सरकार, प्राधिकरण या इसके सदस्यों, अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों द्वारा किया गया कोई भी कार्य या की गई कोई भी कार्रवाई, किसी सिविल न्यायालय में प्रश्नगत नहीं की जाएगी।

सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई के लिए संरक्षण।

36. किसी बात, जो इस अधिनियम के अधीन सद्भावपूर्वक की गई है या की जाने के लिए आशयित है के संबंध में सरकार या प्राधिकरण या इसके सदस्यों या अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों के विरूद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाहियां नहीं हो सकेंगी।

नियम बनाने की शक्ति।

37. (1) सरकार, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, नियम बना सकती है।

(2) विशिष्टतया और पूर्वगामी शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, सरकार ऐसे नियम बना सकती है, जो किसी अन्य मामले के लिए उपबन्ध कर सकती है, जो विहित किया जाना है या किया जा सकता है ।

(3) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम, इसके बनाए जाने के पश्चात्, यथा शीघ्र, राज्य विधानमण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, रखा जाएगा।

कठिनाई दूर करने की शक्ति।

38. यदि इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबन्ध कर सकती है, जो इस अधिनियम के उपबन्धों से असंगत न हों, जो इसे कठिनाई दूर करने के लिए आवश्यक अथवा समीचीन प्रतीत हों :

परन्तु इस धारा के अधीन कोई भी ऐसा आदेश इस अधिनियम के प्रारम्भ से दो वर्ष की अवधि की समाप्ति के बाद नहीं किया जाएगा।

प्राधिकरणों की निधि।

39. (1) पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण की निधियां, हरियाणा पशुधन विकास बोर्ड के बजट आबंटन में से पूरी की जाएंगी।

(2) पशु पंजीकरण प्राधिकरण, पशु प्रमाणीकरण प्राधिकरण और पशु प्रजनन विनियामक प्राधिकरण, सरकार, केन्द्रीय सरकार, गैर सरकारी संगठन, न्यास, सोसाइटी, कम्पनी, अन्तर्राष्ट्रीय अभिकरणों से अनुदान प्राप्त कर सकता है, जो उक्त प्राधिकरणों की निधि में जमा किया जाएगा।

निरसन तथा व्यावृत्ति।

40. (1) पंजाब पशुधन सुधार अधिनियम, 1953 (1953 का पंजाब अधिनियम 47), हरियाणा राज्यार्थ, इसके द्वारा, निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए, इस प्रकार निरसित अधिनियम के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी।

....

मीनाक्षी आई० मेहता,
सचिव, हरियाणा सरकार,
विधि तथा विधायी विभाग।